IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बीकानेर रियासत के विकास में महाराजा सरदारसिंह की भूमिका

मरियम बानो
रजिस्ट्रेशन नं. 24618062
पी.एच.डी. शोधार्थी
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय,
झुन्झूनुं (राजस्थान)

सारांश

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल को बीकानेर रियासत में 'सुधारों का युग' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। महाराजा के शासनकाल में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार व आवश्यक बदलाव हुए जिससे रियासत में विकास की गति तीव्र हुई। महाराजा ने अपनी राजनैतिक कुशलता का परिचय देते हुए अंग्रेजों की केन्द्रीय सत्ता से सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करते हुए सरदारों व ठाकुरों के विद्रोह पर अंकुश लगाया। राज्य की आय वृद्धि के लिए प्रयास करते हुए, दीवानों की नियुक्ति की गई। राजस्व व्यवस्था में बदलाव किए गएं महाराजा द्वारा अंग्रेजों के सहयोग से रियासत में सामाजिक सुधार व विकास कार्य हुआ। महाराजा ने राजनैतिक व सामाजिक कार्यों के साथ–साथ लोक कल्याण के कार्यों में अत्यन्त रुचि दिखाते हुए अनेक कार्य किए। राजपूताने में सुधारक शासकों की सूची में महाराजा सरदारसिंह का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है।

मूल शब्द : प्रजा, बदलाव, कार्य, सुधार, विद्रोह, रियासत।

प्रस्तावना :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में समाज, राजस्व, शासन व्यवस्था, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में सुधार व विकास हुआ जिसका सीधा लाभ रियासत की प्रजा को प्राप्त हुआ। महाराजा ने महाजनों की दीवाला घोषित परम्परा, मृत्युभोज व विवाह में फिजूलखर्ची आदि कार्यों पर रोक लगवाई। सतीप्रथा पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग करते हुए कठोर कानून बनाए व सख्ती से कानून लागू भी करवाए गए। महाराजा ने अंग्रेजों के प्रति स्वामीभक्ति दिखाई जिसके परिणामस्वरूप 1857 ई. की क्रांति के बाद टीबी परगने के 41 गाँव पुनः बीकानेर रियासत को प्राप्त हुए, जो महाराजा की एक बड़ी उपलब्धि रही। महाराजा द्वारा सरदारों व ठाकुरों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों से संधि की गई व उसे सख्ती से लागू भी करवाया गया। जिससे अराजकता व अशांति का वातावरण समाप्त होकर विकास प्रारम्भ हुआ। बीकानेर रियासत में महाराजा के शासनकाल में काफी सुधार व विकास कार्य किए गए, जो इस प्रकार है –

(1) बीकानेर राज्य के सिक्कों के लेख में बदलाव :

मुगल सत्ता के प्रभाव के कारण प्रारम्भ में बीकानेर राज्य के सोने व चांदी के सिक्कों पर मुगल बादशाहों का नाम अंकित था परन्तु ब्रिटिश काल में बीकानेर राज्य के सिक्कों पर औरंग आ राय हिन्दी व इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया 1859 और दूसरी तरफ जर्बश्री बीकानेर 1916 फारसी लिपि में अंकित करवाया गया था।

(2) टीबी गाँवों के सम्बन्ध में निर्णय :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में सामंतों के विद्रोह, व्यापारिक मार्गों के सुधार, अंग्रेजी सेना का खर्च व 1857 ई. की क्रांति में अंग्रेजों के सहयोग के कारण अत्यन्त धन खर्च हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाराजा का राजकोष रिक्त होता जा रहा था। महाराजा ने रियासत के राजस्व अधिकारियों को अधिक कर वसूलने का आदेश दिया। यह अधिक व अतिरिक्त कर टीबी क्षेत्र व 41 गाँवों से वसूल किया जा रहा था जो 1857 ई. की क्रांति के बाद पुनः बीकानेर रियासत को मिले थे। गाँव की प्रजा व सरदारों ने महाराजा की शिकायत अंग्रेजी सरकार से की। अंग्रेजी सरकार ने करों को निश्चित करते हुए बीस साला बन्दोबस्त लागू करवाया। इसी के साथ बीकानेर के राजनैतिक कार्यों के लिए कप्तान पी.डब्ल्यू. पाउलेट को नियुक्त किया गया। महाराजा पर जो आरोप लगाए उनका पाउलेट ने यह निर्णय निकाला कि जो गाँव किसी सरदार व ठाकुर के जागीर का हिस्सा है तो उन्हें तुरंत सरदारों को लौटाया जाए। हर 10 वर्ष बाद घोड़े की रकम 200 रुपए सालाना निश्चित कर दी गई। सरदार व ठाकुर की मृत्यु पर उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ववतृ नजराना ही दिया जाएगा। महाजन के ठाकुर अमरसिंह को छोड़कर सभी विद्रोही सरदारों ने इस फैसले पर अपनी सहमति प्रदान की। जिससे विद्रोही वातावरण को विराम लगा।

(3) अपराधियों को सौंपने के लिए अंग्रेजी सत्ता से संधि :

बीकानेर रियासत में चूरू, महाजन व भादरा क्षेत्र के सरदार व ठाकुर प्रायः डाकुओं व विद्रोहियों को शरण देकर इनसे राज्य में लूटमार व अशांति का माहौल उत्पन्न करवाते थे। जिससे प्रजा परेशान व असुरक्षित हुई। डाकू सरदारों को काफी धन देते थे और दूसरे राज्य में जाकर ये अपराधी बच जाते थे। यह महाराजा के लिए बड़ी समस्या थी। इसी कारण महाराजा ने 1869 ई. में अंग्रेजी सत्ता से अपराधियों को दण्ड व एक–दूसरे के राज्य के अपराधियों को सौंपने के लिए संधि की गई। इस संधि के अनुसार बीकानेर व अंग्रेजी राज्य अपराधियों को एक–दूसरे के राज्य को सुपुर्द करेंगे। इसलिए कठोर नियम व कानून बनाए गए और उनका पालन किया गया जिसके परिणामस्वरूप डाकुओं, अपराधियों व सरदारों के कार्यों पर अंकुश लगा। अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप में बीकानेर राज्य में अशांति, अराजकता व लूटमार के माहौल से प्रजा को मुक्ति मिली।

(4) दीवानों को बदलना :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में राजकोष रिक्त था। राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु अपने शासनकाल के 20 वर्षों में 18 दीवान बदले गए। महाराजा द्वारा बार–बार दीवानों को बदलने का मूल कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने में असफल होना था। प्रजा से मनमाना कर वसूला जाता था। परन्तु वह कर राजकोष में नहीं जाता था। दीवान अपने पद को अस्थिर मानते हुए अपने अल्पकाल में अधिक धन इकट्ठा करने में लगे रहते थे जिससे भ्रष्टाचार, अराजकता व राज्य को आर्थिक हानि का लगातार सामना करना पड़ा।

(5) राज्य प्रबंध के लिए कौंसिल की स्थापना :

राजपूताना के पोलिटीकल एजेंट ने बीकानेर राज्य में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें बीकानेर के कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे। रिश्वत या सिफारिश से बड़े से बड़ा मुजरिम बच सकता था। सरदार व ठाकुर भी इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे।

बीकानेर रियासत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उचित शासन प्रबंध के लिए सन् 1871 ई. में कौंसिल की स्थापना की गई। इस कौंसिल में दीवान पण्डित मनफूल, मानमल राखेचा, शाहमल कोचर व धनसुखदास कोठारी जैसे योग्य सदस्यों को नियुक्त किया गया, परन्तु कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। कुछ समय बाद राज्य की स्थिति पहले जैसी हो गई।

(6) स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास :

महाराजा के शासनकाल में अनेक भवन, महल, मंदिर आदि का निर्माण हुआ। मुगल सत्ता के प्रभाव के कारण स्थापत्य पर भी मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। स्थापत्य के क्षेत्र में किए गए कार्य इस प्रकार हैं –

(i) दुर्ग स्थापत्य :

महाराजा ने अपने शासनकाल में जूनागढ़ में रतन निवास, मोती महल, जनाना ड्योढ़ी पर कई कमरे, गज मंदिर का विस्तार, रतन पोल, तोपखाने का निर्माण, जूनागढ़ के चारों तरफ पक्की खाई, गजनेर में सरदार महल व अपनी पुत्री के नाम पर गजनेर में सुगन महल इत्यादि बनवाए।

(ii) मंदिर स्थापत्य :

महाराजा द्वारा श्री रसिक शिरोमणि मंदिर का निर्माण बीकानेर में करवाया गया। बीकानेर मंदिर स्थापत्य कला का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर विशाल व अत्यन्त सुंदर है। मंदिर में भगवान की मूर्ति मूर्तिकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रही है। मंदिर में शिलालेख भी स्थित है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। महाराजा द्वारा अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया।

(iii) स्मारक व छतरियां :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में ही सबसे पहले बीकानेर राजपरिवार की स्त्रियों, भोग पत्नियों व खवासों की देवीकुण्ड सागर में छतरियां व पादुका लेख लिखवाए गए, जिनकी अपनी अलग पहचान है। जो स्थापत्य व ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

(iv) कुएं व तालाब :

महाराजा के शासनकाल में जल की समस्या के निवारण के लिए कुएं व तालाबों का निर्माण करते हुए पुराने कुओं व तालाबों की मरम्मत भी करवाई गई। कुछ कुएं व तालाब स्थापत्य कला के उदाहरण हैं जैसे संसोलाव तालाब व भाटोलाई तलाई इत्यादि।

(7) प्रजाहित के कार्य :

महाराजा सरदारसिंह ने अपने पूर्व के शासकों की तुलना में प्रजाहित के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सुधार कार्य किए, जो इस प्रकार हैं –

(i) प्रजाहित के कानून बनान :

महाराजा ने प्रजाहित के लिए कई कानून बनाते हुए अनावश्यक खर्चों को रोका। महाजनों के दिवालिया प्रवृत्ति पर रोक लगाई। विवाह व मृत्युभोज पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने का प्रयास किया गया। मृत्युभोज में सिर्फ लापसी बने व भोज में बिरादरी के लोग ही शामिल हो, ऐसे नियम बनाए गए जिससे प्रजा को राहत मिली। महाराजा ने महाजनों से लिया जाने वाला स्थानीय कर 'बाछ' माफ कर दिया था।

(ii) सती प्रथा पर रोक :

सती प्रथा रोकने के लिए सख्त कानून बनाते हुए कानून का उल्लंघन व सहयोग करने वालों पर कठोर दण्ड का प्रावधान रखा गया।

(iii) जीवित समाधि पर रोक :

महाराजा द्वारा सन् 1854 ई. में सतीप्रथा की तरह साधुओं द्वारा ली जाने वाली जीवित समाधि पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। साथ ही सहयोग व बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को सजा व अर्थ दण्ड लगाने का प्रावधान किया गया।

(iv) अंग्रेजों व उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना :

महाराजा सरदारसिंह ने सन् 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की तथा अंग्रेजी परिवारों का पता लगाकर विद्रोह की समाप्ति तक उन्हें अपने संरक्षण में रखा। यह उनकी मानवीयता का अच्छा उदाहरण है।

(v) महाराजा का स्वयं रियासत का दौरान करना :

प्रजा की वास्तविक दशा का पता लगाने के लिए महाराजा स्वयं रियासत का दौरा करते थे।

(vi) कलाकारों को संरक्षण :

महाराजा के शासनकाल में सरदारों व ठाकुरों का लगातार विद्रोह व डाकुओं की लूटमार की समस्या के बाद भी महाराजा ने अपने राजदरबार में कलाकारों व शिल्पियों को उचित मान–सम्मान प्रदान किया। उनके कौशल का अपने महलों, भवनों, मंदिरों में उपयोग करके उनको प्रोत्साहन दिया।

(vii) सरदारशहर नगर का बसाना :

महाराजा रतनसिंह ने अपने पुत्र सरदारसिंह के नाम पर वि.सं. 1896 (सन् 1839 ई.) में सरदारशहर की स्थापना की। महाराजा सरदारसिंह ने अपने शासनकाल में सरदारशहर को सुनियोजित ढंग से बसाया। यहाँ के निवासियों को सुरक्षा प्रदान की गई जिससे सरदारशहर विकसित हुआ। राजलवाड़ा गाँव के स्थान पर सरदारशहर बसाया, जो तत्कालीन समय में तीसरे दर्जे का शहर है। वर्तमान में यह चूरू जिले का प्रमुख नगर है। नगर में बनी हवेलियां व भव्य भवन स्थापत्य कला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। हवेलियों पर की गई चित्रकारी तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक आदि अनेक पक्षों को उजागर करती है।

(viii) बीकानेर शहर की जनगणना :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में सन् 1867 ई. में बीकानेर रियासत की जनगणना करवाई गई। यह महाराजा की बड़ी उपलब्धि थी। इससे तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति का पता चलता है।

(ix) न्याय व्यवस्था :

महाराजा सरदारसिंह द्वारा सुप्रबंध व सुधार की दृष्टि से सन् 1871 ई. में बीकानेर राज्य में दीवानी, फौजदारी अदालतें व काउंसिल की स्थापना की गई।

(x) चिकित्सा व्यवस्था :

महाराजा सरदारसिंह के शासन में बीकानेर में डॉक्टर कोलरिज अपनी सेवाएँ दे रहे थे। लगभग 19 वर्षों तक बीकानेर राज्य को स्वास्थ्य सेवा देने से बीकानेर की प्रजा में उनके प्रति काफी मान–सम्मान था। 1870 ई. के लगभग डॉ. कोलरिज ने

महाराजा रियासत की नौकरी छोड़ दी। महाराजा ने तत्काल अपनी प्रजा के लिए आगरा से लक्ष्मण पाण्डे को बुलाकर नियुक्त किया। इस कार्य से महाराजा का राज्य की प्रजा के स्वास्थ्य के प्रति सचेत व चिन्तित होने का पता चलता है।

(xi) प्रतिदिन दरबार लगाना :

महाराजा सरदारसिंह अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रतिदिन दरबार का आयोजन करवाते थे। जिससे प्रजा बिना संकोच के अपनी शिकायत महाराजा को कर सकती थी। महाराजा महल की ढलुआ छत में बाहर निकली हुई खिड़की में बैठकर अपनी प्रजा विशेषकर निर्धनों की बात सुनते थे।

(xii) घोड़ा गाड़ी का चलन :

महाराजा के शासनकाल में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत में घोड़ा गाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। यातायात के साधनों में इससे एक ओर कदम बढ़ा। महाराजा इससे बीकानेर से गजनेर आया–जाया करते थे।

(xiii) महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में पड़े अकाल की स्थिति व प्रभाव :

बीकानेर रियासत में ज्यादातर अकाल अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में अधिक भयानक पड़ते थे। महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में सन् 1868–69 ई. का अकाल सबसे भयानक अकाल था। धनाढ्य वर्ग द्वारा गरीब प्रजा हेतु खैरात खाने व प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई। परन्तु सरदारों व ठाकुरों ने अपने क्षेत्र की प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये अपनी प्रजा के प्रति उदासीन बने रहे। महाराजा ने राहत कार्य करवाते हुए तालाब का निर्माण करवाया, निर्धन प्रजा के लिए खाने का प्रबंध किया। अकाल की भयानकता अधिक होने पर भी महाराजा शासन सम्बन्धी कार्यों में हो रहे खर्चे को नहीं रोक सके जिससे रियासत की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। भूखमरी, बीमारी व दुखों के कारण बीकानेर की प्रजा पलायन करने लगी। पशुधन की स्थिति अत्यन्त खराब थी। राज्य के पश्चिमी भाग में चारे की कमी के कारण मवेशी 5 फीसदी ही रह गए थें अकाल के समय भी कर वसूली में कोई बदलाव नहीं किया गया। धनाढ्य वर्ग वे सेठों द्वारा निर्माण कार्य जैसे हवेलियां, भवन आदि बनवाए गए जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिला। कुल मिलाकर अकाल के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई।

(xiv) शिक्षा के क्षेत्र में विकास :

प्रारम्भ में शिक्षा का मूल स्थल मंदिर, मस्जिद, मठ आदि होते थे जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। समय के बदलाव के साथ प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पाठशालाओं को स्थापित किया गया। सेठ, धनाढ्य वर्ग व साहूकारों के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। मंदिरों में संस्कृत का ज्ञान व मस्जिदों में अरबी, फारसी पढ़ाई जाती थी। छोटे स्तर पर ही समाज का प्रत्येक तबका शिक्षा प्राप्त करता था।

(xv) टकसाल व मुद्रा प्रचलन :

बीकानेर रियासत में टकसाल थी परन्तु उसमें हमेशा रुपया व पैसा तैयार नहीं होता था। महाजनों व धनाढ्य वर्ग की अपील पर रुपया, पैसा तैयार किया जाता था। रुपए ढलाई के लिए बम्बई से चांदी लाई जाती थी। जयपुर के रुपयों पर प्रति सौ पर आठ आना दाखिल होकर सिक्का पड़ता था तथा सरकारी रजिस्ट्री के लिए खर्चा 4 रुपया फीसदी आता था। इसी क्रम में चांदी के रुपया बनवाने में 1 रुपया पौने सात आना अतिरिक्त खर्च आता था।

महाराजा सरदारसिंह ने सेठ–साहूकारों को राज्य की टकसाल में स्वर्ण सिक्के घड़वाने के लिए कर में आधी छूट व इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को घर में घड़वाया जाए तो महाराजा द्वारा कर में पूरी छूट दी गई। बड़े सिक्कों में प्रचलन में रुपया प्रचलित था। व्यापारी वर्ग छोटे सिक्कों के रूप में टका, पैसा, छदाम व दमड़ी का प्रयोग करते थे। कौड़ी का भी प्रचलन था।

हिसाबी मुद्रा में दाम, टुकड़ा, दुकानी, फुदिया आदि नाम की मुद्रा प्रचलित थी। बीकानेर रियासत में विभिन्न शासकों द्वारा सिक्के प्रचलित किए गए जैसे करणशाही, गजशाही, सूरतशाही, रतनशाही व सरदारशाही।

(xvi) मण्डी यानि महकमा सायर :

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में मण्डी शहर की आय मोदीखाना, अस्तबल व पीलखाना आदि से होती थी। इस आय का लेखा–जोखा दरबारियों के पास होता था। ये दरबारी सदैव षड्यंत्र में लिप्त रहते थे। दरबार के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते थे। जो दीवान इनके षड्यंत्र में शामिल नहीं होता था उसके प्रत्येक काम में व्यवधान डालते थे जैसे पण्डित मनफूल का दरबारियों से निरन्तर विवाद।

मण्डी आय के कई स्रोत थे। जैसे – व्यापार पर लगने वाला कर, किसी व्यक्ति के पुत्र न होने पर गोद लेने पर कर (खोला), शहर में स्थित जमीन को बेचने पर कर (चौथ जमीन), लावारिस सम्पत्ति (गईवाल)।

तहसील की मण्डी का अधिकारी तहसीलदार होता था। उसके साथ एक मण्डी हवलदार होता था। साथ में सहायक, मुंशी चपरासी व अन्य कर्मचारियों का समूह होता था। इस विभाग की अधिकांश आय व्यापारिक माल के आवागमन से कर वसूली से होती थी। महाराजा सरदारसिंह के प्रयासों से मण्डी विभाग व्यवस्थित हो सका तथा अपना कार्य सुचारू रूप से कर सका जिससे राज्य, व्यापारियों व अन्य कर्मचारियों की आय में वृद्धि हुई।

निष्कर्ष :

महाराजा सरदारसिंह के अंग्रेजों से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध थे। महाराजा ने 1857 ई. की क्रांति में अंग्रेजी सत्ता का सहयोग करते हुए उनके परिवार के लोगों की रक्षा की जिससे अंग्रेजी सत्ता अत्यन्त प्रसन्न हुई। महाराजा के इन कार्यों के बदले बीकानेर रियासत को अंग्रेजों द्वारा टीबी परगने के 41 गाँव पुनः प्रदान कर दिए। ठाकुरों द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने से रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार व महाराजा के बीच एक–दूसरे के अपराधियों को सौंपने की संधि हुई जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। राज्य में लूटमार व डकैती पर अंकुश लगा। महाराजा का आर्थिक पक्ष कमजोर रहा जिसके कारण राज्य में मात्र 20 वर्षों में 18 दीवान बदले गए। फिर भी महाराजा ने स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया, लोक कल्याण के लिए सुधार व कानून बनाए, सती प्रथा व जीवित समाधि पर प्रतिबंध लगाया, सरदारशहर को बसाया, सर्वप्रथम जनगणना महाराजा के काल में प्रारम्भ हुई, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सचेत थे, शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार महाराजा का शासनकाल सुधारों का समय था। बीकानेर रियासत में महाराजा सरदारसिंह सुधार शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

संदर्भ :

रिपोर्ट ऑन दि पोलिटीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि राजपूताना स्टेट्स, 1870–71 ई., नं. LXXXIV, सुजानगढ़ एजेन्सी रिपोर्ट

एचिसन, सी.यू. : ए कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज, एंगेजमेंट्स एण्ड सनद्स, जिल्द–3, कलकत्ता, 1892 ई.

पाउलेट, पी.डब्लयू. : गजेटियर ऑफ दि बीकानेर स्टेट, बीकानेर, 1932 ई., राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

ओझा, जी.एच. : बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग–2, राजस्थानी ग्रंथागार, 2009 ई.

सिंह, महाराजा करणी : बीकानेर राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध, बीकानेर आर्ट पब्लिशर्स प्रा.लि., बीकानेर, 1968 ई.

शर्मा, डॉ. गिरिजाशंकर : मारवाड़ी व्यापारी, विकास प्रकाशन, बीकानेर, 2017 ई.

गुप्ता, बेनी : राजस्थान का इतिहास, जयपुर, 1998 ई.

मुंशी सोहनलाल : तवारीख राजश्री, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1947 ई.

दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, वोल्यूम–VIII, ऑक्सफोर्ड, 1908 ई.

ज्वाला सहाय : लॉयल राजपूताना, भाग–3, आगरा, 1879 ई.

राठौड़, भूरसिंह : बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर, 1980 ई.

राजवी, अमरसिंह : मेडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, भाग–1, जयपुर, 1992 ई.

मेघसिंह : तारीख रियासत बीकानेर, भाग–1, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1898 ई.

चूरू दर्शन, जिला सम्पर्क कार्यालय, चूरू, 1978 ई.

रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : भारत के प्राचीन राजवंश, जोधपुर, 1925 ई.

सिंढायच दयालदास : देशदर्पण, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1989 ई.

डब्ल्यू. वेब : कनेन्सीज ऑफ दि हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, 1992 ई.